HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13535/2026
CNR: RJHC020830202026 | URN: CRLMB / 25032U / 2026

Rahul Singh Katewa Son Of Shri Rohitash Kumar, Aged About 23 Years, R/o Ward No. 10, Shiv Colony, Chirawa, District Jhunjhunu (Rajasthan) (At Present Accused Petitioner Confined Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13657/2026
CNR: RJHC020835052026 | URN: CRLMB / 25324U / 2026

Abhishek Kumar S/o Ramkishore Jatav, Aged About 22 Years, R/o Village Pataliya, Police Station Khairthal, District Alwar, Raj. (Presently Confined At Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Majhar Hussain Mr. Chandra Shekhar
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP Mr. Mayank Singhal

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/09/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह दो प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–**शिप्रा पथ, जयपुर शहर दक्षिण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **551/2026** अपराध अन्तर्गत

धारा 115(2), 126(2), 140(2) बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किए गये हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रकट किया गया कि प्रार्थीगण को मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। उनकी शिनाख्तगी परेड (Test Identification Parade) भी नहीं करवाई गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण के खाते में किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है तथा उन्हें मात्र सहअभियुक्तगण के कथनों के आधार पर इस मामले में अभियुक्तगण बनाया गया है। वे दिनांक 9.8.2026 से अभिरक्षा में है। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रकरण के दो व्यक्ति अजीज और सफाकत खान को 8.8.2026 को ही छोड दिया गया था लेकिन समय पर उनके घर सूचना नहीं दिया जाना संदेह उत्पन्न करता है। पक्षकारों के मध्य लेन–देन का विवाद था। मामले के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तक है कि प्रार्थीगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अजीज, फिरोज व सफाकत का अपहरण किया और उनसे प्राप्त राशियां सहअभियुक्तगण के खाते में प्राप्त कीं। उनका तर्क है कि इस घ ाटना में आहत अजीज के तीन चोटें, आहत फिरोज के चार चोटें और सफाकत के 2 चोटें कारित हुई हैं। अभी फिरोज की दो चोटों और शफाकत की एक चोट के सम्बन्ध में विशेषज्ञ की राय आना शेष है। प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। गंभीर अपराध है। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण पर अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 140(2) बी.एन.एस. का आक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रकट हो रहा है कि इसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राहुल कटेवा व अभिषेक कुमार का नाम अंकित नहीं है। उनकी पहचान के सम्बन्ध में शिनाख्तगी परेड (Test Identification Parade) करवाया जाना भी प्रकट नहीं हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खाते में किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त हुई हो, यह भी दर्शित नहीं हुआ है। दोनों प्रार्थीगण दिनांक 9.8.2026 से अभिरक्षा में है। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं

है। मामले के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने उचित प्रतीत होते हैं।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो–दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

72/JITENDRA SINGH PANWAR